न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर

निगरानी कोलो./1026/03/गंगानगर

दलीप पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी डबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर **–प्रार्थी**

बनाम

1–राजाराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी डबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (तर्क)

2–राजस्थान सरकार ––अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री अभिषेक छाबडा एवं श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या–1 का नाम तर्क
श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 की और से

निर्णय

दिनांक 7–3–19

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत नियम 10(2) राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत अपील संख्या 214/02 शीर्षक दलीप बनाम सरकार में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11–2–2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। दोनो निगरानीधीन आदेश एक ही भूमि से संबंधित है तथा तथ्य व कानूनी बिन्दु एक ही इसलिए उक्त दोनो निगरानी का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार तहसील रायसिंहनगर के चक 5 एनपी के पत्थर संख्या 114/74 के किला नं. 9 ता 25 कुल 17 बीघा भूमि प्रार्थी के पास

वर्ष 1980 से 1981 से अस्थाई काश्त टीसी पर थी। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि के स्थाई आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी को दिनांक 25–4–92 को पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने उप जिला कलेक्टर रायसिंहनगर को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी दलीप के पास कोई भूमि नही है। दलीप के पिता के नाम 6.477 हैक्टर नहरी व 1.961 हैक्टर बारानी भूमि है। प्रार्थी दलीपराम के चार भाई है व पिता जिन्दा है। जिससे उसके हिस्से में 1.293 हेक्टर नहरी व 0.392 हेक्टर बारानी भूमि आती है। इसलिए वह 17.00 बीघा बारानी भूमि का स्थाई आवंटन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के स्थाई आवंटन प्रार्थनापत्र व रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अध्किारी ने अपने आदेश दिनांक 18–7–92 द्वारा चक 5 एनपीसी के पत्थर संख्या 114 / 74 के किला नं. 9 ता 25 कुल 17.00 बीघा भूमि का स्थाई आवंटन कर दिया । प्रार्थी द्वारा समस्त आवंटन की राशि जमा करवा दी गयी व प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक हो गया।

3– अप्रार्थी संख्या दो ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने आवंटन तथ्यों को छुपा कर विवादित आराजी का आवंटन करवाया है इसलिये विवादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 2–9–02 द्वारा निगरानीकार के पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 214 / 02 शीर्षक दलीप बनाम सरकार राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गयी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–2–03 द्वारा अपील को खारिज कर दिया। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी संख्या–1 राजाराम एक शिकायतकर्ता था। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। निगरानी में केवल राज्य सरकार का हित निहित है। निगरानी में राज्य सरकार पक्षकार है। इसलिये अप्रार्थी संख्या–1 राजाराम का नाम तर्क कर दिया जावे।

निगरानी में राज्य सरकार अप्रार्थी संख्या–2 है। निगरानी में राज्य सरकार का हित निहित है। इसलिये अप्रार्थी संख्या–1 का नाम तर्क किया जाता है।

4– विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की निगरानी पर अन्तिम बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया कि दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के निगरानीधीन आदेश विधि विरुद्ध,विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में, रिकार्ड पर उपलबध तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किये गये है। इसलिये दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के निगरानीधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। उनका यह भी तर्क है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में पूर्णतया असफल रहे है। उनका यह भी तर्क है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्तियॉ प्रदत्त नही है, जिससे अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रार्थनापत्र को सुनने में सक्षम नही है। यह महत्वपूर्ण बिन्दु विद्वान अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन के समक्ष अर्जित किया गया था परन्तु उनके द्वारा उक्त बिन्दु को नजरअन्दाज कर निगराधीन आदेश जो दिनांक 2–9–02 को पारित किया गया है कानून के विरुद्ध है, जिसकी अपील विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष किये जाने पर वे भी अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में पूर्णतया असफल रहे है। विद्वान अपीलीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही अपील को स्वीकार कर अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करना चाहिए था। अपने तर्को के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 355 का अवलोकन कराया और निवेदन किया कि उक्त कानूनी नजीर में अति.कलेक्टर प्रशासन को राजस्थान उप निवेशन अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्तियॉ प्रदत्त नही है, इसलिए विद्वाल अतिरिकत कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत कोई आदेश देने में अधिकृत नही है। उनका यह भी तर्क है कि आवंटी द्वारा आवंटन सम्बन्धी ऐसा कोई तथ्य नही छिपाया है, जिससे आवंटन आदेश पर विपरीत प्रभाव पडता हो। चूॅकि 15 बीघा

भूमि से कम धारण करने वाले व्यक्ति भूमि हीन है तथा व नियम चार के तहत 25 बीघा पेरेनिअल अथवा 50 बीघा नॉन पेरेनिअल भूमि आवंटन करवा सकता है। जबकि प्रार्थी दलीप को 17.00 बीघा बारानी भूमि ही आवंटित की गयी है। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ऐसे किसी भी आवंटन सम्बन्धी तथ्य को नही छिपाया गया है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर ने प्रार्थी के आवंटन प्रार्थनापत्र को खारिज करते समय यह भी आधार लिया है कि प्रार्थी विकलांग है, शादीशुदा नही है तथा वह सद्भावी कृषक नही है। विकलांग होना व शादीशुदा नही होना आवंटन में कोई अडचन पैदा नही करता है क्योकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि विकलांग तथा बिना शादी किये व्यक्ति को आवंटन नही किया जा सकता हो। ऐसी स्थिति में विद्वान दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मात्र कयास के आधार पर है, जिन्हे किसी भी स्थिति में यथावत नही रखा जा सकता है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया।

6— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश विधि सम्मत है जिनमें कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निगरानीधीन निर्णयय पारित किये है, उनमें प्रार्थी द्वारा लिये गये सभी आक्षेपों को निर्णित किया गया है जिससे इनमें कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावें।

7— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया साथ ही प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीरों का गहनता से अध्ययन किया गया।

8— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह उठाया है कि धारा 11—14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 2(1) में कलेक्टर की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर को धारा 11—14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त नहीं है। इसलिये अतिरिक्त

जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–9–02 क्षेत्राधिकार विहिन निर्णय है। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने तर्क दिया कि नियम 1956 के तहत आवंटन दो श्रेणी के व्यक्तियों भूमिहीन कृषक तथा अस्थाई कृषि पट्टा धारक को किया जाता है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 16–7–70 के द्वारा नियम 1956 में नियम 6 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अस्थाई कृषि पट्टा धारक को 25 बीघा सिंचित अथवा 50 बीधा असिंचित भूमि का आंवटन किया जा सकता है। चक 5 एन.पी.के मुरब्बा नंबर 114 / 74 के किला नंबर 9 ता 25 कुल 3.974 हैक्टयर असिंचित भूमि आवंटी दलीप की अस्थाई कृषि पट्टा की भूमि थी। नियम 6 ए प्रतिस्थापित होने के बाद दलीप ने नियम 6 ए के तहत अस्थाई कृषि पट्टा की भूमि के स्थाई आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 25–4–92 को प्रस्तुत किया। आवंटी के विरूद्ध यह आरोप है कि उनके द्वारा तथ्यों को छूपाकर आवंटन कराया गया है। तहसील रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आवंटी दलीप के पास बरवक्त आवंटन अपने पिता की भूमि में से 1.685 हैक्टयर भूमि हिस्से में आती है। आवंटी दलीप का पिता जिंदा है तथा आवंटी दलीप के अन्य तीन भाई भी है। नियम 6 ए के तहत केवल अस्थाई कृषि पट्टा की भूमि का वर्णन किया जाना आवश्यक है। पूर्व में धारित भूमि के अंकन को किया जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकरण में तो आवंटी दलीप की पूर्व में धारित भूमि का अंकन गया है। इसके अतिरिक्त नियम 6 ए अधनियम 1956 क तहत अस्थाई कृषि पट्टा की भूमि को आवश्यक रूप से अस्थाई कृषि पट्टा धारक को स्थाई रूप से आवंटन किये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। इस बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक ने 1993 आरआरडी पेज 596 सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। उनका यह भी तर्क है कि नियम 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विकलांग व अविवाहित व्यक्ति को भूमि का स्थाई आवंटन नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत राजस्थान उपनिवेशन की धारा 2(6) के तहत मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिये विशेष प्रावधान दिये गये है। महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या आवंटी प्रार्थी दलीपकुमार ने आवंटन आदेश दिनांक 18–7–92 तथ्यों को

दुपाकर करवाया है। आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 8–7–92 नियम 6 (A) के तहत पारित किया गया है तथा इस प्रकरण में आवंटन प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि आवंटी दलीप के पिता शंकरलाल की भूमि में से 1.685 हैक्टयर भूमि हिस्से में आती है।

> Rule 6 of rule 1956. Allotment -(1) On application for fresh allotment, the collector shall consider such application on its own merits and shall. if satisfied that the applicant is eligible for allotment of land in accordance with these rules allot the land applied for or any other suitable land if available. On payment of price fixed under Rule 7 and grant the applicant Khatedari rights therein.
>
> Rule 6 A of rule 1956. (1) Notwithstanding anything contained in Rules 3, 4, 5 and 6 and without prejudice to any proceedings pending there under, land up to 25 Bighas of irrigated land or 50 Bighas of unirrigated land my also be allotted to temporary cultivation lease holders to whom land had been alloted under Temporary Cultivation Leases Conditions, 1955 and who are in continuous cultivatory possession thereof begining from 1953 to 1960.

10– स्पष्ट है कि नियम 6 और 6 ए में आवंटन के भिन्न भिन्न प्रावधान है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर व राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा यह माना गया कि प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर विवादित भूमि का आवंटन करवाया है जो काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के साथ आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटन पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट संलग्न है। मात्र शिकायतकर्ता

के कयास के आधार पर बिना तहसीलदार से नवीन रिपोर्ट लिये प्रार्थी का आवंटन निरस्त किया गया है जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मात्र कयास के आधार पर दिये गये है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–92 व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–2–03 निरस्त किये जाकर पुनः प्रकरण निम्न बिन्दुओं पर उभय पक्ष को सुनकर विस्तृत निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है :–

1. धारा 11–14 का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को है अथवा नही? यह बिन्दु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णीत नहीं किया है। अतः सर्वप्रथम उक्त क्षेत्राधिकार के बिन्दु को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर निर्णित करेंगे कि धारा 11–14 की शक्तियां तत्समय उनके न्यायालय में निहित थी अथवा नहीं?

2. आवंटन अधिकारी ने आवंटन 6 ए नियम 1956 के तहत किया है जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय नियम 6 के तहत पारित किये गये है। जिस नियम के तहत आवंटन किया गया है उसी नियम के तहत धारा 11–14 के तहत प्रकरण निर्णित किया जाना चाहिये, अतः इस बिन्दू पर भी पुनः जांच की आवश्यकता है।

3. आवंटन पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार की रिपोर्ट व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11–14 में आवंटी के खाते में अंकित प्रस्तुत भूमि में भिन्नता पाई गई है। अतः यह आवश्यक है कि आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय आवंटी की धारण में कितनी भूमि थी, इस बिन्दु पर सुक्ष्म जांच की आवश्यकता है जो तहसीलदार से रिकोर्ड के आधार पर नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णित की जा सकती है।

11– परिणामतः हस्तगत् निगरानी उपरोक्त दिये गये अभिमत अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–92 व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–2–03 निरस्त किये

जाते है तथा प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उक्त तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्ष न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 13–5–2019 को प्रकरण में वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं उपस्थित होंवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य